न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र. कैंप भोपाल

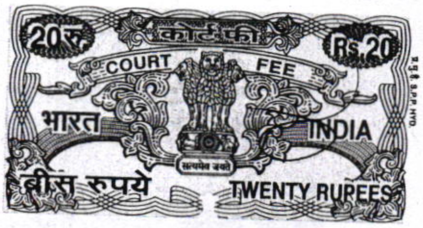

(25)

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू-रा/2018/0355

1. तुलाराम कुशवाहा आयु लगभग 50 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया कुशवाहा
2. सीताराम कुशवाहा आयु लगभग 40 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया
3. कमलेश कुशवाहा आयु लगभग 30 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया
4. साहबसिंह कुशवाहा आयु लगभग 25 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया

सभी निवासी ग्राम ढिकवाड़ा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद..पुनरीक्षकर्तागण

बनाम

सुकिया आयु लगभग 60 वर्ष पत्नि रतिराम कुशवाहा
निवासी ग्राम ढिकवाड़ा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद..उत्तरवादीगण

अधिवक्ता आर० पी० त्यागी जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत।
13/12/2017

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

कार्यालय राजस्व निरीक्षक शोभापुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5अ-12 वर्ष 2016-17 के माध्यम से किए गए सीमांकन दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/18/0355 [तुलाराम / सुखिया]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक शोभापुर तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दि. 23-11-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् उभयपक्षों को सूचना दी जाकर पंचनामा फील्डबुक नक्शा आदि तैयार कर स्थायी सीमाचिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	